राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

दिनांक 28.04.2026

प्रैस विज्ञप्ति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अत: राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर रहा है। यह निर्वाचन कार्यक्रम जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों, जिसमें विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत करजां व सोयल तथा विकास खण्ड आनी कि जाबन व नम्होग सम्मिलित हैं, पर लागू नहीं होगा क्योंकि इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 09.02.2027 को समाप्त हो रहा है। यद्यपि इन ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं, जिनका निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	कुल संख्या
1.	प्रधान	3754
2.	उप प्रधान-	3754
3.	सदस्य ग्राम पंचायत	21,654
4.	सदस्य पंचायत समिति	1769
5.	सदस्य जिला परिषद्	251
6.	कुल पद	**31,182**

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण का ब्यौरा:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के प्रावधानानुसार जनसँख्या के अनुपात पर पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व् अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य की समस्त पंचायती राज

संस्थाओं जिसमें जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं जिसमें अभी निर्वाचन प्रस्तावित नहीं है का आरक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:-

विवरण	कुल पद	अनु0 जाति के लिए आरक्षित पद	अनु0 जाति महिला के लिए आरक्षित पद	अनु0ज0 जा0 के लिए आरक्षित पद	अनु0ज0जा महिला के लिए आरक्षित पद	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पद	महिला के लिए आरक्षित पद	अनारक्षित पद	महिलाओं के लिए कुल पद (4+6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रधान	3758	453	508	138	151	116	146	1095	1151	1900
*उप-प्रधान	3758	0	0	0	0	0	0	0	3758	0
सदस्य ग्राम पंचायत	21678	1813	3811	504	982	0	0	7916	6652	12709
सदस्य पंचायत समिति	1769	207	253	61	70	53	72	524	529	919
सदस्य जिला परिषद्	251	29	35	10	13	8	11	69	76	128
कुल पद	**31214**	**2502**	**4607**	**713**	**1216**	**177**	**229**	**9604**	**12166**	**15656**

*उप-प्रधान पद के लिए आरक्षण लागू नहीं होता है।

मतदाता सूचियाँ

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूचियाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला हैं। इसलिए, इनकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयोग द्वारा दिनांक 01.10.2025 को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित किए गये थे, जिसमें मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने के लिए 01.10.2025 अहर्ता तिथि रखी गयी थी। इन मतदाता सूचियों को 13.11.2025 को अंतिम रूप दिया गया था। तत्पश्चात आयोग द्वारा 01.04.2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) किया गया ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को मताधिकार दिया जा सके। अत: उपरोक्त अद्यतनीकरण प्रक्रिया के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं में जिलावार मतदाताओं की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता	अन्य मतदाता	कुल मतदाता
1.	बिलासपुर	158282	157056	2	315340
2.	चम्बा	205142	199506	9	404657
3.	हमीरपुर	180434	184724	2	365160
4.	काँगड़ा	600947	589380	3	1190330
5.	किन्नौर	29995	29974	0	59969
6.	कुल्लू	157258	152736	1	309995
7.	लाहौल-स्पिति	12906	12976	0	25882
8.	मंडी	398843	396784	7	795634
9.	शिमला	258460	250375	0	508835
10.	सिरमौर	195459	178589	2	374050
11.	सोलन	179217	172055	0	351272
12.	ऊना	190827	187094	3	377924
कुल		**2567770**	**2511249**	**29**	**5079048**

वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में **50,79,048** मतदाता दर्ज हैं, जिनमें **25,67,770** पुरुष, **25,11,249** महिलाऐं व **29** अन्य मतदाता हैं। इन पंचायती राज संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु के **52,349** मतदाता है, जो कि प्रथम बार मतदान करेंगे। इसमें **28,581** पुरुष व **23,768** महिला मतदाता हैं। विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटावाली में सबसे अधिक **4623** व विकास खण्ड पूह की ग्राम पंचायत सुमरा में सबसे कम **178** मतदाता हैं। विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड संख्या **7** में सबसे अधिक **723** तथा विकास खण्ड मैहला की ग्राम पंचायत करियां के वार्ड संख्या **8** में सबसे कम **17** मतदाता हैं।

मतदान केन्द्र

आयोग द्वारा इन संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कुल **21,678** मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है उन मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र **(Auxiliary Polling Station)** बनाए जाएँ तथा आवश्यकता पड़ने पर पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएँ। परन्तु सहायक मतदान केंद्र **(Auxiliary Polling Station)** व मुख्य मतदान केंद्र एक ही भवन में स्थापित किए जाएँ। आयोग ने यह निर्देश भी जारी किए है कि जहाँ तक संभव हो, महिलाओं के लिए पृथक से स्थापित मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल तथा महिला सुरक्षा कर्मी लगाए जाएँ। जिला **लाहौल-स्पिति** के विकास खण्ड **काजा** की ग्राम पंचायत **लाँगजा** में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कौमिक में **4587 मीटर** की ऊंचाई पर मतदान केंद्र स्थापित किया गया है जो प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है।

मतपत्र

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन परम्परागत विधि से मतपत्र व मतपेटियों के माध्यम से करवाए जाते हैं। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग रंग के 60.00 लाख मतपत्र मुद्रित करवाए गये हैं। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

1.	पंचायत सदस्य	सफेद (White)
2.	उप-प्रधान	पीला (Yellow)
3.	प्रधान	हल्का हरा (Light Green)
4.	सदस्य पंचायत समिति	गुलाबी (Pink)
5	सदस्य जिला परिषद्	हल्का नीला (Light Blue)

मतदाताओं के लिए जानकारी

कोई भी मतदाता वोटर सारथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार एवं सम्बन्धियों का नाम देख सकता है। वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sechimachal.hp.gov.in तथा Play Store पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अत: इच्छुक मतदाता वेबसाइट के माध्यम से भी अपने नाम की जांच कर सकते है।

आयोग मतदाताओं को यह भी सूचित करना चाहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग व् राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न-2 संस्थाएं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा व् विधान सभा के निर्वाचन संपन्न करवाता है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के। स्थानीय निकायों में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र (EPIC) केवल आपकी पहचान बताता है तथा किसी भी स्थिति में यह मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र

पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदाता मतदान करते समय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र (EPIC) अपने साथ ले जाए। यदि मतदाता के पास EPIC नहीं है तो निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ ले जाने की आवश्यक्ता होगी :-

1. ड्राइविंग लाईसेन्स
2. आयकर पहचान पत्र
3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रम/स्थानीय निकायों तथा किसी भी प्राईवेट औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र।
4. बैंक/किसान/डाकघर पास बुक।
5. राशन कार्ड।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र।
7. छात्र पहचान पत्र।
8. सम्पति सम्बन्धी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख।
9. शस्त्र लाईसेन्स
10. परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कन्डक्टर लाईसेंस
11. पैन्शन अभिलेख जेसे भू0पू0 सैनिक पैन्शन बुक/पी0पी0ओ0
12. भू0पू0 सैनिक की विधवा/आश्रित को जारी प्रमाण पत्र।
13. रेलवे/बस पास
14. अक्षम प्रमाण पत्र।
15. स्वतंन्त्रता सैनानी प्रमाण पत्र
16. आधार कार्ड।

अत: आयोग प्रत्येक मतदाता से अपील करता है कि मतदान के लिए घर से निकलते समय उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य साथ ले जाएँ।

मतदाताओं के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से सम्बंधित सूचना

मतदाताओं को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से सम्बंधित सूचना वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए DPMIS एप्लीकेशन विकसित की गयी है जिसका लिंक राज्य निर्वाचन आयोग की website sechimachal.hp.gov.in पर उपलब्ध है । इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की नामांकन, छंटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के चल-अचल सम्पतियों, दायित्यों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा भी DPMIS पर देखा जा सकता है।

क़ानून एवं व्यवस्था

प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्राय: शांति पूर्ण रूप से संपन्न होते रहे है। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए गये हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएँ। अत: आयोग सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

मादक पदार्थ के वितरण व् बिक्री पर रोक

आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव की समाप्ति के लिए नियत घण्टे से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा।

सवैतनिक अवकाश

आयोग द्वारा सभी सरकारी व् निजी संस्थाओं को मतदान के दिनांक को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के दिशा निर्देश ज़ारी किए गए हैं।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जानकारी

आयोग द्वारा यह जानकारी भी दी गयी है कि जिला परिषद् का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **121**क एवं **121**ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन व्यय सम्बन्धित प्रपत्र पर संधारित करना व रिर्टनिंग अधिकारी को सम्बन्धित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला परिषद् सदस्य के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा **100,000/-** (एक लाख) रूपये रखी गयी है। अतः आयोग सदस्य जिला परिषद् का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील करता है कि निर्वाचन व्यय सम्बन्धित प्रपत्र

पर संधारित करें व चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर सम्बन्धित रिर्टनिंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें।

आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन **Candidate Expenditure Reporting System (CERS)** भी बनायीं गयी है। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से आयोग अपील करता है कि उपरोक्त एप्लीकेशन के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय दर्ज करें।

आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए, एक मार्गदर्शिका भी तैयार की गयी है जिसकी प्रति उनको रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र प्ररूप प्राप्त करते समय उपलब्ध करवाई जाएगी। विस्तृत मार्गदर्शिका आयोग की वेबसाइट **sechimachal.hp.gov.in** पर उपलब्ध है।

आदर्श आचार संहिता

इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा सम्बंधित पक्षों से अपील करता है कि वे आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचें। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित न करें। सरकारी संसाधनों/मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग न करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें।

आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है। आयोग प्रशासनिक अधिकारियों, कानून-व्यवस्था एजेंसियों एवं चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों को निर्देशित करता है कि वे निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

आयोग मतदाताओं से भी अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें।

आयोग सभी निर्वाचन अधिकारियों, कार्मिकों, सुरक्षा बलों तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उच्चतम स्तर की पेशेवर दक्षता के साथ करेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक तत्परता, समन्वय एवं अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग अपेक्षा करता है कि सभी सम्बंधित अधिकारी निर्धारित दिशानिर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा मतदाताओं को सुरक्षित एवं सुगम मतदान वातावरण उपलब्ध कराएंगे। आयोग को विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगी।

मतपत्रों की मतगणना

(8)

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में मतगणना की प्रक्रिया प्रायः शांति पूर्ण रूप से संपन्न होती रही है। परन्तु मतगणना कार्मिकों की सुरक्षा एवं मतगणना की, निष्पक्षता के मध्यनजर आयोग द्वारा सभी मतगणना केन्द्रों पर मतपत्रों की गणना की Videography करने के निर्देश दिए जा रहें हैं। यह निर्देश भी जारी किए जा रहें हैं कि जहाँ तक संभव हो सवेंदनशील तथा अति-सवेंदनशील मतगणना केन्द्रों पर Web Casting की व्यवस्था भी की जाए।

मतदाताओं से अपील

आयोग सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की गयी हों, पर ही ध्यान केन्द्रित करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में आयोग/जिला/विकास खण्ड में स्थापित नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर सम्पर्क करें।

निर्वाचन कार्यक्रम:-

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन तीन चरणों में तथा स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर करवाए जाएंगें तथा किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं:-

1	निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना	**29.04.2026**
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि	**29.04.2026**
3	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	**07.05.2026, 08.05.2026 व 11.05.2026** प्रातः 11:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक
4	नामांकन पत्रों की जांच	**12.05.2026** प्रातः 10:00 बजे से की जाएगी।
5	उम्मीदवारी की वापसी	**14.05.2026 व 15.05.2026** प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3: 00 बजे से पूर्व तक
6	नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की	**15.05.2026**

(9)

	जाएगी तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएँगे।	
7	मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी	**07.05.2026** या इससे पूर्व
9	आवश्यकता पड़ने पर मतदान-: **सुबह 7:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक**	**प्रथम चरण 26.05.2026** **द्वितीय चरण 28.05.2026** **तृतीय चरण 30.05.2026**
10	मतदान होने की स्थिति में, वोटों की गिनती की जाएगी	ग्राम पंचायत से सम्बंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी पंचायत समिति व् जिला परिषद् के मतों की गणना **31.05.2026 को प्रातः 9:00** बजे से विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी।

सु. राठौर

(सुरजीत सिंह राठौर)
सचिव